लेटर्स पेटेंट अपील।

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित और एसएस संधावालिया के समक्ष.

महाबीर प्रसाद - *अपीलकर्ता।*

बनाम।

हरियाणा राज्य और अन्य, *उत्तरदाता।*

1970 का लेटर्स पेटेंट ऐप 'ईएएल नंबर 216।

27 जुलाई, 1970।

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV) - धारा 10 और *11 - पंजाब ग्राम पंचायत* नियम - नियम *40* - धारा 10 के तहत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है - *धारा 11 के तहत नियुक्तियां - क्या की जा सकती हैं - धारा* 11 *में शब्द, "यदि किसी कारण से"पंचायत के सरपंच के निर्वाचन पर रोक लगाने और धारा* 11 *के अधीन किसी की नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों का अर्थ और व्याख्या - ऐसी नियुक्ति - चाहे वह वैध हो।*

अभिनिर्धारित किया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 10 और 11 का उद्देश्य, संदर्भ और भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये सह-संबंधित, पूरक हैं और इन्हें एक साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए। जब इसकी व्याख्या की जाती है तो यह स्पष्ट होता है कि मूल चरण और बाद में आकस्मिक रिक्ति की घटना दोनों में, सरपंच और पंचों के पद को भरने का सर्वोपरि तरीका चुनाव है। पंजाब ग्राम पंचायत नियमों की धारा 10 और नियम 40 के तहत परिकल्पित चुनाव की प्रक्रिया का अनुपालन और समापन हो जाने के बाद ही इन पदों के लिए कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता है और धारा 11 का सहारा लेना संभव है। धारा 11 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि धारा 10 की प्रक्रिया अभी भी जारी है। नियम 40 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 10 के तहत प्रक्रिया द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरने से ही निराशा हुई है कि अंतिम उपाय के रूप में, धारा 11 के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति को लागू किया जाना है। (पैरा 9)

यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 11 में प्रयुक्त "यदि किसी कारण से" शब्दों को उनके संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित प्राधिकारी को सरपंच या पंच के कार्यालय में अपने स्वयं के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए एक व्यापक और अनिर्देशित शक्ति दी जा सके। शब्द "यदि किसी भी कारण से" स्पष्ट रूप से "निर्वाचित नहीं हैं" शब्दों से संबंधित हैं और इस संदर्भ में पढ़ा जाता है तो यह निहित है कि कारण प्राथमिक चुनाव प्रक्रिया की विफलता से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार कारण वह होना चाहिए जो नहीं बनाया गया है या धारा 10 और नियम 40 के प्रावधानों को पराजित करने और रद्द करने का प्रभाव नहीं है, जो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए एक अनिवार्य वैकल्पिक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

(पैरा 10)

यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम के तहत अधिकारी अपने स्वयं के अधिनियम से पहले उस पर रोक लगाने का आदेश देकर चुनाव की प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते हैं और फिर

इस स्थगन आदेश को चुनाव कराने के अनिवार्य प्रावधानों को दरकिनार करने का आधार बनाया जाए। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का उचित उपयोग नहीं है और इस तरह से की गई सरपंच की नियुक्ति अमान्य है।

(पैरा 10)

माननीय न् यायमूर्ति श्री *प्रेम चंद जैन* के निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील मार्च, 1970 *को* 1969 का *2770* । *(कृष्ण कुमार और एक अन्य* बनाम। *हरियाणा राज्य और अन्य।*

सुरिंदर सरुप, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए

एच एस वासु और एल एस वासू, वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

एस.एस. संधावलिया न्यायमूर्ति लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत यह अपील पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 11 के तहत सरपंच के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने के विद्वान एकल जुडग के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है।

(2) तथ्यों सेपता चलता है कि ऐलनाबाद गांव में सरपंच के कार्यालय में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के बीच कई तरह की मुकदमेबाजी होती है। कृष्ण कुमार, प्रतिवादी नंबर 3, को 8 जनवरी, 1964 को आयोजित चुनाव में उपरोक्त गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था। इस चुनाव को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष दायर एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसे अनुमति दी गई थी और प्रतिवादी संख्या 3 के चुनाव को 7 सितंबर, 1967 के एक आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 3 ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ 1967 की सिविल रिट संख्या 2121 दायर की, लेकिन विफल रही और उनकी याचिका 4 अक्टूबर, 1967 को आरंभ में ही खारिज कर दी गई । इस बीच ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तारा चंद को सौंपे गए थे, लेकिन 30 दिसंबर, 1967 को आयोजित ग्राम पंचायत की एक बैठक में, देस राज को सरपंच के रूप में चुना गया था। बदले में इस 'चुनाव' को 1968 के सिविल रिट नंबर 293 के माध्यम से फिर से चुनौती दी गई और 29 मार्च, 1968 को शमशेर बहादुर, जे के आदेश से सरपंच के रूप में देसराज की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। इसके बाद उपायुक्त, हिसार ने अधिनियम की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव नियमों के नियम 40 के साथ सिरसा के उप-मंडल अधिकारी को रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोजित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के अनुसरण में, सरपंच का चुनाव वास्तव में 29 जून, 1968 के लिए तय किया गया था। हालांकि, इससे पहले कि यह हो सकता है। ई कारणों से गिरफ्तार

जो अभिलेख में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, उप-विभागीय अधिकारी को हरियाणा के विकास आयुक्त से दिनांक 26 जून, 1968 को एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्नानुसार निर्देश दिए गए थे:

> अदालत ने कहा, '29 जून, 1968 को तय किए गए चुनाव सरपंच ऐलनाबाद पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाए।

इन निर्देशों के परिणामस्वरूप चुनाव पर रोक जारी रही। हालांकि, कुछ समय बाद उपायुक्त, हिसार ने अधिनियम की धारा 11 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई, 1969 को अपीलकर्ता को सरपंच के रूप में नियुक्त करने का आदेश पारित किया, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रिट याचिका के माध्यम से लागू किया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

(3) (आधिकारिक प्रतिवादियों, अर्थात् हरियाणा राज्य और उपायुक्त, हिसार की ओर से कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था और न ही उनकी ओर से कोई उपस्थिति दर्ज की गई थी। रिट याचिका को केवल वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी।

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि अधिनियम की धारा 11 निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सरपंच के रूप में नियुक्त करने का वारंट नहीं देती है। उन्होंने कहा कि धारा 11 में नियोजित "यदि किसी कारण से" शब्दों को इतने व्यापक रूप से नहीं माना जाना चाहिए कि इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां सरकार के अधिनियम के कारण आकस्मिक रिक्ति निर्धारित समय के भीतर नहीं भरी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 11 में उल्लिखित कारण वह नहीं होना चाहिए जो धारा 10 और नियम 40 के प्रावधानों को पराजित करने और रद्द करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

(5) अपील के समर्थन में श्री सुरिंदर सरुप ने तर्क दिया है कि सरकार के आदेशों द्वारा सरपंच के पद के चुनाव पर रोक लगा दी गई है और यह रोक लंबे समय तक जारी रही थी। इस बीच, सरपंच के कार्यालय के किसी भी पदाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण पंचायत का काम रुका हुआ था। यह तर्क दिया गया था कि ऐसी परिस्थितियों में निर्धारित प्राधिकारी के पास वास्तव में अपीलकर्ता की नियुक्ति के लिए धारा 11 के प्रावधानों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह बलपूर्वक तर्क दिया गया था कि निर्धारित प्राधिकारी की कार्रवाई धारा 11 के चार दायरे के भीतर थी और इसलिए यह अकाट्य थी।

(6) मुझे सहमत होने की असमर्थता पर खेद है। ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों के कार्यालय स्पष्ट रूप से ऐच्छिक कार्यालय हैं, यह सामान्य योजना और ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में स्पष्ट है। सबसे पहले इस अधिनियम की धारा 6(1) के उपबंधों की ओर मुड़ें जो निम्नलिखित शब्दों में हैं :-

> "6(1) प्रत्येक सभा, विहित रीति से, अपने सदस्यों में से सभा के एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी समिति का चुनाव करेगी जिसमें कार्यकारी समिति के सरपंच सहित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम से कम पांच या नौ से अधिक नहीं होगी जैसा कि सरकार सभा क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे।

उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका ने अनिवार्य शर्तों में यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक सभा को अपने सदस्यों में से सरपंच और पंचों का चुनाव करना है और निर्धारित प्राधिकारी को इन पदों को भरने के लिए चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरपंच का कार्यालय अपनी स्थापना में एक वैकल्पिक कार्यालय है।

(7) यदि ऐसा कार्यालय, जो अपने सार में वैकल्पिक है, किसी भी आकस्मिकता के कारण खाली हो जाता है, तो क्या करना है। इसके लिए अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रावधान किया गया है, जिसमें ऐसी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रावधान की भाषा विस्तार से ध्यान देने योग्य है-

> "जब भी किसी पंच या सरपंच की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने से कोई रिक्ति होती है, तो *एक नया पंच या सर-पंच, जैसा भी मामला हो, ऐसी रीति से चुना जाएगा जो वह निर्धारित करे*, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति कार्यकाल के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह चुना गया था, अन्यथा पद पर बना रहेगा।

खंड 10 में ऊपर उल्लिखित भाग इस निर्देश की अनिवार्य प्रकृति पर प्रकाश डालता है कि आकस्मिक रिक्तियों को फिर से एक निर्धारित वैकल्पिक प्रक्रिया द्वारा भरा जाना है। इस प्रक्रिया का विवरण पंजाब ग्राम पंचायत नियमों के नियम 40 द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रदान किया गया है: —

> *"आकस्मिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया- जहां* पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के बीच एक रिक्ति होती है,
>
> धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार किसी सदस्य का त्यागपत्र या निष्कासन तथा उसके स्थान पर कोई नया सदस्य निर्वाचित किया जाना है, ऐसा निर्वाचन इन नियमों के अनुसार रिक्ति होने के 60 दिनों के भीतर किया जाएगा:
>
> बशर्ते इस नियम में निर्धारित साठ दिनों की सीमा को उपायुक्त द्वारा बढ़ाया जा सकता है, अगर उनकी राय में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त आधार हैं।

(8) धारा 10 और नियम 40 के उपर्युक्त दो प्रावधानों को एक साथ मानते हुए, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया है कि सभी आकस्मिक रिक्तियों को भी चुनाव की प्रक्रिया द्वारा भरा जाना है और नियम एक अनिवार्य अवधि भी निर्धारित करता है जिसके भीतर इस तरह के चुनाव आयोजित किए जाने हैं, जो उपायुक्त की शक्ति के अधीन पर्याप्त आधार पर ऐसी अवधि का विस्तार करने की शक्ति के अधीन है।

(9) इस पृष्ठभूमि में धारा 11 (जिसके इर्द-गिर्द विवाद मुख्य रूप से घूमता है) के प्रावधान, जो स्पष्ट रूप से धारा 10 का अनुसरण करते हैं, का अर्थ लगाया जाना चाहिए। संदर्भ की सुविधा के लिए इसे सेट करना सुविधाजनक है: —

धारा 11.

"*डिफ़ॉल्ट के* मामलों में नियुक्तियां/यदि किसी कारण से कोई सरपंच या पर्याप्त संख्या में पंच निर्वाचित नहीं होते हैं, या निर्धारित समय के भीतर एक आकस्मिक रिक्ति नहीं भरी जाती है, तो निर्धारित प्राधिकारी आवश्यक संख्या में विधिवत योग्य व्यक्तियों को सरपंच या पंच के रूप में नियुक्त कर सकता है, जैसा भी मामला हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कार्यकाल के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया था। > पद पर बने रहे।

अपीलकर्ता के वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की थी कि अधिनियम की धारा 10 और 11 स्वतंत्र हैं और उन्हें अलग माना जाना चाहिए। मैं इस विवाद को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ हूं। वास्तव में इन दो प्रावधानों का उद्देश्य, संदर्भ और भाषा स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि ये सह-संबंधित, पूरक हैं और इन्हें एक साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए। जब ऐसा व्याख्या की जाती है यह स्पष्ट है कि मूल चरण और बाद में आकस्मिक रिक्ति की घटना दोनों में, सरपंच और पंचों के पद को भरने का सर्वोपरि तरीका चुनाव है। यह केवल एक आकस्मिक स्थिति में होता है जब नियम 40 के साथ धारा 10 के तहत परिकल्पित चुनाव की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है और समाप्त हो जाता है और फिर भी कोई भी व्यक्ति इन पदों के लिए नहीं चुना जाता है कि धारा 11 का सहारा लेना संभव है। मेरे विचार से धारा 11 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि धारा 10 की प्रक्रिया अभी भी जारी है। नियम 40 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 10 के तहत प्रक्रिया द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरने से ही निराशा हुई है कि अंतिम उपाय के रूप में, धारा 11 के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति को लागू किया जाना है।

(10) इसलिए, धारा 11 में प्रयुक्त "यदि किसी कारण से" शब्दों को उनके संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित प्राधिकारी को सरपंच या पंच के कार्यालय में अपने स्वयं के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए एक व्यापक और अनिर्देशित शक्ति दी जा सके, न कि इसे भरने के लिए चुनाव आयोजित किया जा सके। मेरे विचार में "यदि किसी भी कारण से" शब्द स्पष्ट रूप से "निर्वाचित नहीं हैं" शब्दों से संबंधित हैं और इस संदर्भ में पढ़ा जाता है तो यह निहित है कि कारण प्राथमिक चुनाव प्रक्रिया की विफलता से जुड़ा होना चाहिए। ऐसी कई संभावनाओं में से एक की कल्पना करने के लिए, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या कोई भी कार्यालय के लिए चुनाव की मांग करने के लिए आगे नहीं आता है। इस प्रकार कारण वह होना चाहिए जो नहीं बनाया गया है या धारा 10 और नियम 40 के प्रावधानों को पराजित करने और रद्द करने का प्रभाव नहीं है, जो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए एक अनिवार्य वैकल्पिक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। किसी भी मामले में, अधिकारी अपने स्वयं के कार्य से पहले उस पर रोक लगाने का आदेश देकर चुनाव की प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते हैं और फिर इस स्थगन आदेश को चुनाव कराने के अनिवार्य प्रावधानों को दरकिनार करने का आधार नहीं बना सकते हैं। मेरे विचार से यह स्पष्ट रूप से धारा 11 के तहत शक्ति का वैध उपयोग नहीं होगा।

(11) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर रखा गया निर्माण मुझे अजेय प्रतीत होता है। मुझे इस अपील में कोई दम नजर नहीं आता जो विफल होनी चाहिए और लागत के बारे में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती है।

पी.सी. पंडित, *न्यायमूर्ति* .—मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा